


३५-०७-१३ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी
 स्विच उपस्थित नहीं। बार-बार सभाज लगाने
 पर भी वकील वादी या वादी स्विच उपस्थित नहीं
 हुए। अतः वादी का यह वादपत्र अदम पेशवी- अदम
 हाजिरी में इसी स्तर पर रजिस्ट्रि किया जाता है।
 पत्रावली बाद तर्तीब तकमील होकर दाखिल रहता
 है।

निरीप लिखाया जाकर तुले न्यायालय में
 सुनाया गया।


 (अमिता बिशनोई)
 R.A.S.